न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर (कैम्प कोर्ट बेनीसर)

मुकदमा नम्बर 12 / 2021 निर्णय दिनांक 18.10.2021
ऑनलाईन नम्बर 2021 / 17

नोरतराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956।

यह प्रार्थना पत्र नोरतराम ने जरिये अधिक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 515 तादादी 7.1500 हैक्टेयर रोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। वादगत खेत की खातेदारी प्रार्थी व प्रार्थी के भाई व माता के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है। यह है कि प्रार्थी ने जब उपरोक्त खसरान की भुमि पर के.सी.सी. बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया व जमावन्दी की नकल दिनांक 06.01.2021 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 515 तादादी 7.1500 हैक्टेयर रोही बेनीसर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रुप से नोरतनमल पुत्र चैनाराम अंकित चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शुरु से ही नोरत राम पुत्र चैनाराम रहा है प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त विरासतन दर्ज इंतकाल में प्रार्थी का नाम नोरतनमल अंकित कर दिया है। यह है कि प्रार्थी साक्षर व कृषि पेशा व्यक्ति है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नही रही है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर ही उक्त जानकारी हुई है प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पैन–कार्ड, जन आधार–कार्ड, बैंक–पासवुक, सरपंच कार्यालय ग्राम पचायत बेनीसर में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम नोरत राम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी बेनीसर अंकित चला आ रहा है। प्रार्थी को गांव, रिश्तेदारी, जान–पहचान, मित्रगण सभी नोरत राम के नाम से जाना–पहचाना जाता है। यह है कि वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी वादगत खसरा की भुमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम नोरत राम पुत्र चैनाराम जाति जाट अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादगत भूमि में प्रार्थी का गलत नाम नोरतनमल अंकित होने के कारण प्रार्थी को वादगत खसरा भुमि पर के.सी.सी. बनाने ट्यूबवैल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह है कि वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 06.01.2021 को ... संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम नोरत राम है मेरा नाम विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय वंशवशावली हल्का पटवारी को सही नाम ... से नोरतनमल अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी के नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। राजस्व रिकार्ड उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। यह है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 515 तादादी 7.1500 हैक्टेयर रोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम नोरतनमल अंकित हुआ है उसकी जगह नोरत राम पुत्र चैनाराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपत्ति नहीं होने एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 515 तादादी 7.1500 हैक्टेयर रोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नोरतनमल के स्थान पर नोरत राम पुत्र चैनाराम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 16.10.2021 को कैम्प कोर्ट बेनीसर में मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:03 IST
Reason: SelfAttested